भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1100
(जिसका उत्तर सोमवार, 10 फरवरी, 2025/21 माघ, 1946 (शक) को दिया जाना है)

बुनियादी ढ़ांचे में सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) को वित्तीय सहायता की योजना

1100. श्री डग्गुमल्ला प्रसादा राव:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क) क्या सरकार के पास बुनियादी ढांचे में सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) को वित्तीय सहायता देने की योजना के तहत व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण के लिए पात्र क्षेत्रों की समेकित सूची है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान विशेष रूप से आंध्र प्रदेश से पीपीपी के तहत व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) के लिए प्राप्त और अनुमोदित प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;
(घ) इन परियोजनाओं की वर्तमान वास्तविक और वित्तीय स्थिति का ब्यौरा क्या है तथा पूरा होने की समय-सीमा क्या है; और
(ङ) विगत पांच वर्षों के दौरान विशेष रूप से आंध्र प्रदेश से उप-योजना एक और उप-योजना दो के तहत आवंटित निधि का जिलावार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क और ख) : अवसंरचना में सार्वजनिक निजी भागीदारी को वित्तीय सहायता योजना के तहत व्यवहार्यता अंतर निधियन (वीजीएफ स्कीम) के लिए पात्र क्षेत्रों की समेकित सूची **अनुलग्नक- I** में है।

(ग और घ) : पिछले पांच वर्षों (वित्त वर्ष 20-21 से वित्त वर्ष 24-25) के दौरान व्यवहार्यता अंतर निधियन के लिए अंतिम अनुमोदन प्राप्त अवसंरचना परियोजनाओं का विवरण **अनुलग्नक- II** में है।

(ङ) : इस योजना के तहत व्यवहार्यता अंतर निधियन सहायता उन परियोजनाओं को दी जाती

है जिन्हें योजना की शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन परियोजना प्रायोजक प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तावित और अधिकार प्राप्त समिति द्वारा मूल्यांकित किया गया हो। पिछले पांच वर्षों (वित्त वर्ष 20-21 से वित्त वर्ष 24-25) के दौरान उप-योजना 1 और 2 के तहत व्यवहार्यता अंतर निधियन के लिए अंतिम अनुमोदन प्राप्त परियोजना का विवरण **अनुलग्नक III** में है।

अवसंरचना में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) को वित्तीय सहायता योजना के तहत व्यवहार्यता अंतर निधियन के लिए पात्र क्षेत्रों की समेकित सूची:

क) सड़कें और पुल, रेलवे, बंदरगाह, विमान पत्तन, अंतर्देशीय जलमार्ग;
ख) विद्युत;
ग) शहरी क्षेत्रों में शहरी परिवहन, जल आपूर्ति, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और अन्य भौतिक अवसंरचना;
घ) विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अवसंरचना परियोजनाएं और राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्रों में आंतरिक अवसंरचना;
ङ) अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र और अन्य पर्यटन अवसंरचना परियोजनाएं;
च) शीत श्रंखला और फसल कटाई के बाद के भंडारण सहित आधुनिक भंडारण क्षमता के निर्माण में पूंजी निवेश;
छ) बिना वार्षिकी प्रावधान के शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास;

बशर्ते कि मौजूदा जिला अस्पताल से जुड़े होने के नाते पीपीपी मोड में स्थापित मेडिकल कॉलेजों को इस शर्त के अध्यधीन व्यवहार्यता अंतर निधियन प्रदान की जाएगी कि:
i. राज्य मेडिकल कॉलेज में अस्पताल की सुविधाओं को पूरी तरह से अनुमति देते हैं; और
ii. राज्य मेडिकल कॉलेज को रियायत पर भूमि प्रदान करते हैं।

ज) तेल/गैस/तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) भंडारण सुविधा (शहर गैस वितरण नेटवर्क सहित);
झ) तेल और गैस पाइपलाइन (शहर गैस वितरण नेटवर्क सहित);
ञ) सिंचाई (बांध, नहर, तटबंध आदि);
ट) दूरसंचार (फिक्स्ड नेटवर्क) (ऑप्टिक फाइबर/वायर/केबल नेटवर्क सहित जो ब्रॉडबैंड/इंटरनेट प्रदान करते हैं);
ठ) दूरसंचार टॉवर;
ड) टर्मिनल बाजार;
ढ) कृषि बाजारों में सामान्य अवसंरचना; और
ण) मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं।

अनुलग्नक– II

पिछले पांच वर्षों (वित्त वर्ष 20-21 से वित्त वर्ष 24-25) में अवसंरचना में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) को वित्तीय सहायता योजना के तहत वीजीएफ सहायता के लिए अंतिम अनुमोदन प्राप्त परियोजनाओं की सूचीः

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	कुल परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)	भारत सरकार वीजीएफ (करोड़ रुपये में)	भौतिक स्थिति[1]	वित्तीय स्थिति[1]	पूरा करने के लिए समय सीमा[1]
1	झरसुगुड़ा जिले में किफायती स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास	ओडिशा	54.40	46.32	निर्माणाधीन	4.41%	चरण I: नवंबर 2026 चरण II: नवंबर 2029
2	भद्रक जिले में किफायती स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास	ओडिशा	54.40	46.32	निर्माणाधीन	2.79%	चरण I: नवंबर 2026 चरण II: नवंबर 2029
3	बाड़बिल जिले में किफायती स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास	ओडिशा	125.50	73.93	निर्माणाधीन	10%	चरण I: नवंबर 2026 चरण II: नवंबर 2029
4	अंगुल जिले में किफायती स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास	ओडिशा	120.00	73.93	निर्माणाधीन	8%	चरण I: नवंबर 2026 चरण II: नवंबर 2029
5	विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बहुउद्देशीय बंदरगाह परियोजना का विकास	केरल	4089.00	817.80	वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ हो गया है		
6	कैमूर और बक्सर जिलों में खाद्यान्न साइलो का विकास	बिहार	77.44	7.65	निर्माणाधीन	91%	मार्च 2025
7	हिंजेवाड़ी–शिवाजीनगर तक पुणे मेट्रो लाइन–III का विकास	महाराष्ट्र	7420.31	1224.80	निर्माणाधीन	69%	सितम्बर 2025

[1] परियोजना प्रायोजक प्राधिकरणों द्वारा यथा सूचित

अनुलग्नक- III

पिछले पांच वर्षों (वित्त वर्ष 20-21 से वित्त वर्ष 24-25) में अवसंरचना में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) को वित्तीय सहायता योजना की उप-योजना 1/2 के तहत वीजीएफ सहायता के लिए अंतिम अनुमोदन प्राप्त परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	उप योजना	कुल परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)	भारत सरकार वीजीएफ (करोड़ रुपये में)
1	झरसुगुड़ा जिले में किफायती स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास	ओडिशा	**उप योजना 2**	54.40	46.32
2	भद्रक जिले में किफायती स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास	ओडिशा	**उप योजना 2**	54.40	46.32
3	बाड़बिल जिले में किफायती स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास	ओडिशा	**उप योजना 2**	125.50	73.93
4	अंगुल जिले में किफायती स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास	ओडिशा	**उप योजना 2**	120.00	73.93